The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research
An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 4 | November 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

किशोरावस्था: चुनौतियां व समाधान

दीपिका पंत पांडे
अिसस्टेंट प्रोफेसर, वीसीएमटी गौलापार हल्द्वानी (नैनीताल)
गंगा सिंह
अिसस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, उत्तराखंड

ARTICLE DETAILS
Research Paper
Keywords :
किशोरावस्था, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक परिवर्तन व्यक्तिगत विकास, किशोर न्याय अधिनियम

ABSTRACT
किशोरावस्था वह अवधि है जो बचपन को वयस्कता से जोड़ती है। इस अवस्था में तेजी से शारीरिक भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तन होता है यह मानव जीवन के सर्वाधिक परिवर्तन और विकास का चरण है। किशोर दुनिया की कुल आबादी का लगभग पाँचवा हिस्सा है और इसलिए इनकी विशिष्ट जरूरते अनिवार्य रूप से विचारणीय हो जाती है। किशोर जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तनों को समझने एवं जानने के लिए प्रामाणिक स्रोतों को अनुपलब्धता, किशोरों के बीच श्रम की स्थिति और अशांति को जन्म देती है। किशोरावस्था भावनात्मक असंतुलन और तनाव की अवधि है। किशोरों में अधिक उत्साह और भावनाओं का अतिरेक भी देखा जाता है जब उनकी जिज्ञासा ठीक से शांत नहीं होती है और उनके हितों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया जाता तब ऐसी स्थिति में मानसिक और भावनात्मक तनाव की ओर अग्रसर हो जाते हैं। टी वी, कम्प्यूटर और इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्तमान युग में अपनी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता भावनात्मक असंतुलन और मानसिक तनाव के कारण किशोर छात्र (12-18 आयु वर्ग) अपनी पढाई पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाते है। प्रस्तुत लेख वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किशोरावस्था की कुछ समस्याओं की पहचान करने और किशोरावस्था शिक्षा से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों में स्वस्थ दृष्टिकोण से विचार एवं

व्यावहारिक समाधान की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक प्रयास है।

प्रस्तावना

प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक प्रकार के प्रशिक्षण तथा आत्मानुशासन का है। ये प्रशिक्षण की चार अवस्थाये है जिसमें प्रथम सोपन ब्रह्मचर्य आश्रम है। जिसे वर्तमान समय में किशोरावस्था के समतुल्य मान सकते है। विकास की दृष्टि से किशोरावस्था मानव विकास की तृतीय अवस्था है। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तनों को व्यक्तिगत विकास के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जाता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना तथा एन. सी. एफ. 2005 के आलोक में किशोर शिक्षा को विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाहित किये जाने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती रही परंतु सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील विषय होने के कारण इसे पाठ्यचर्या में लागू किये जाने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है। एच. आई. वी. संक्रमण की वृद्धि दर देखते हुए किशोर शिक्षा प्रदान करनी और भी आवश्यक हो गई है। एन. सी. एफ. 2005 के आलोक में किशोर शिक्षा के पाठ्यक्रमीय संबोधों को परम्परागत विषयों में समाहित किया जाना उचित होगा। प्राथमिक स्तर पर इसके संबोध भाषा पर्यावरणीय अध्ययन और उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत उल्लेखित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े-पढ़ाए जा सकते है। इससे प्रमुख लाभ यह होगा कि किशोर शिक्षा को अलग दृष्टि से नहीं देखा जायेगा।

किशोरावस्था का अर्थ व स्वरूपः

किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में ‘एडोलसेन्स’ कहते हैं। यह शब्द लैटिन भाषा की ‘एडोलेसियर’ क्रिया से बना है जिसका अर्थ है ‘परिपक्वता की ओर बढ़ना’। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष तक मानी जाती है।

इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम 13 से 15 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था तथा 15 से 18 वर्ष की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था को तूफान और संवेगों की अवस्था कहा गया है।11 - 12 वर्ष की आयु में बालक के नसों में ज्वार उठना आरंभ होता है इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर होता है। यह बच्चे का सबसे जटिल काल है। क्योंकि इस अवस्था में किशोर को नये ढंग से समायोजन करना पड़ता हहै बाल अपराधों की सख्या सबसे अधिक इसी काल में होती है। बालक बाल्यकाल से किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें शारीरिक, मानसिक,सामाजिक तथा सर्वगात्मक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन शरीर तथा मन दोनों को ही प्रभावित करे हैं। पश्चिमी विद्वानों ने इसे “टीन एज” भी कहा है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी गयी है। इस अवस्था में शारीरिक विकास बड़ी तेजी से होता है।

बाल अपराध की परिभाषा और अर्थ

अपराध में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक किशोर अपराध है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के कुछ कानून होते हैं। इन कानूनों का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होता है. चाहे वह वयस्क हो या बालक यदि वयस्क उन कानूनों की अवहेलना करके समाज विरोधी कार्य करता है तो उसका कार्य अपराध कहा जाता है। यदि किशोर इस प्रकार का कार्य करता है तो उसका कार्य बाल अपराध कहा जाता । भारत में बाल अपराधियों की निम्नतम आयु 7 वर्ष और अधिकतम आयु 10 वर्ष है। एक राष्ट्रीय पत्रिका 1998 में लिखा कि “किशोर हिंसा बढ़ रही है और यह बुरा हो रहा है।“ बाल अधिनियम 1960 के अनुसार एक बाल अपराधी यह है जी जुर्म करता हुआ पाया है और उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।“

बाल अपराध के पारिवारिक कारक -

बच्चे के बिगड़ने में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान होता है क्योंकि वयस्कों का बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार में ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे परिवार में बच्चे को सुरक्षा नहीं मिलती और वह बाल अपराधी बन जाता है। बाल अपराध के प्रमुख पारिवारिक कारण इस प्रकार हैं:

- **भग्न अथवा नष्ट परिवार**–

सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सामान्य परिवारों की तुलना में नष्ट परिवारों में बाल अपराधियों की संख्या अधिक पाई गई है। भग्न या नष्ट परिवारों में बच्चों का समाजीकरण ठीक से नहीं हो पाता और बच्चों को वह स्नेह नहीं मिल पाता जो उन्हें माता-पिता से मिलना चाहिए। नष्ट परिवारों का अर्थ है ऐसे परिवार जिनमें माता-पिता बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं समझते हैं या मृत्यु, तलाक या परित्याग आदि के परिणामस्वरूप माता-पिता में से किसी एक का अभाव होता है।

- **दुर्व्यसन परिवार**–

दुर्व्यसन परिवार उन परिवारों को कहा जा सकता है जहाँ एकता का अभाव हो तथा लड़ाई-झगड़ों के कारण मानसिक एवं भावनात्मक तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो जिससे बच्चों के व्यवहार में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। असुरक्षा, चिड़चिड़ापन, सख्ती आदि परिस्थितियों का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे बाल अपराधी बन जाते हैं।

- **आपराधिक प्रवृत्ति वाले परिवार**–

ऐसे कई परिवार हैं जहां अपराध को बढ़ावा मिलता है। माता-पिता स्वयं बच्चों को बेईमानी से धन लाने, चोरी करने, जुआ खेलने और उनका शोषण करने की शिक्षा देते हैं। ऐसे परिवार में बच्चे जल्दी बाल अपराधी बन जाते हैं। बच्चों में अनुकरण करने की प्रबल शक्ति होती है और वे अच्छी और बुरी

चीजों का तीव्रता से अनुकरण करते हैं। बच्चा जब परिवार के सदस्यों को आपराधिक व्यवहार करते देखता है तो वह भी इसे अपनाने की कोशिश करने लगता है।

- **माता– पिता का शून्य व्यवहार-**

जब माता-पिता अपने बच्चों की अधिक देखभाल करते हैं और उन पर कड़ी नजर रखते हैं, तो उन बच्चों के बिगड़ने की संभावना कम होती है। जिन बच्चों की परवाह नहीं होती है, वे ज्यादातर जल्दी बिगड़ जाते हैं। ऐसे परिवारों में बच्चे दिन भर घर से बाहर रहते हैं और माता-पिता की उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती। माता-पिता के शून्य व्यवहार के कारण बच्चे गंदी चौघड़िया के शिकार हो जाते हैं।

- **अनैतिक परिवार**–

अनैतिक परिवार से तात्पर्य उस परिवार से है जिसमें परिवार का कोई सदस्य अनैतिक जीवन व्यतीत करता है। यदि माता-पिता का चरित्र दूषित होता है तो बच्चों का समाजीकरण ठीक से नहीं हो पाता है। कुछ माता-पिता बच्चों को समाज के प्रति उचित ज्ञान नहीं दे पाते क्योंकि वे स्वयं सामाजिक मान्यताओं को महत्व नहीं देते। यदि बच्चे के माता या पिता का चरित्र दूषित हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और बच्चा अपराधी बन जाता है। घर में अनैतिक व्यवहार और दुराचार का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं।

- **परिवार में निर्धनता**–

परिवार में गरीबी का बाल अपराध और परिवार की आर्थिक स्थिति से गहरा संबंध है। बाल अपराधों पर किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर यह पाया गया है कि बाल अपराधी ज्यादातर उन परिवारों में पाए जाते हैं जिनकी आय कम होती है। बच्चों की कई तरह की इच्छाएं होती हैं। वह समाज में ऐसी चीजें देखता है जो आराध्य हैं।जब वह सामान्य रूप से उन चीजों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह

उन्हें असामान्य रूप से प्राप्त करने का प्रयास करता है और बाल अपराधी बन जाता है। गरीबी के कारण छोटे बच्चे बाहर काम करने जाते हैं, बुरी संगत के शिकार बनते हैं और अंत में बाल अपराधी बन जाते हैं। परिवार उनकी इच्छा पूरी करने में विफल रहता है।

- **छोटा घर और गोपनीयता की कमी**–

औद्योगिक और शहरी केंद्रों में आवास एक गंभीर समस्या है और पूरे परिवार को एक या दो कमरों में रहना पड़ता है। ऐसे परिवारों में पति-पत्नी को सहवास के लिए प्राइवेसी नहीं मिलती और बच्चों के पास हर तरह की बातें होती हैं जो उनके दिमाग पर बुरा असर डालती हैं। छोटे घरों में भी बच्चों के खेलने की जगह नहीं होती और अगर वह बाहर कुसंगति का शिकार हो जाए तो बच्चा अपराधी बन जाता है।

बाल अपराध के शारीरिक एवं व्यक्तिगत कारण -

कुछ विद्वानों के अनुसार शारीरिक एवं जैविक दोष भी बाल अपराधी बनाने में सहायक होते हैं। लेकिन ये कारक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत नहीं हैं। बर्ट ने बताया है कि कुछ अपराधियों में शारीरिक हीनता देखी जाती है, लेकिन अधिकांश बाल अपराधी शारीरिक रूप से सामान्य होते हैं। डगडेल ने जैविक हीनता को भी अपराध का आधार माना है। उनके अनुसार, एक दोषपूर्ण वंश के माध्यम से अपराधीता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो जाती है। बाल अपराध के लिए निम्नलिखित शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को जिम्मेदार माना जाता है:-

- **शारीरिक असामान्यताएं**-

शारीरिक असामान्यताएं और अस्वस्थ शरीर ज्यादातर बाल अपराधियों में पाए जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। बच्चा कमजोर महसूस करने लगता है और उसे आलस्य घेर लेता है। नतीजतन, वह स्कूल से अनुपस्थित रहने की कोशिश करता है। इसी बीच अगर उसका संपर्क आवारा बच्चों से हो जाता है तो वह बाल अपराधी बन जाता है।

- **शारीरिक दोष**–

अनेक विद्वानों का मत है कि शारीरिक हीनता तथा विकार के कारण बालक समाज में असफल हो जाता है और इस असफलता की भरपाई अपराध द्वारा कर दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि लंगड़ा, लूला या हकलाने वाला बच्चा अपने साथी बच्चों से अलग रहता है और ऐसे बच्चों में हीन भावना जाग्रत हो जाती है। अन्य बच्चे उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की भावनाएँ बढ़ जाती हैं और ये भावनाएँ बाल अपराध का रूप धारण कर लेती हैं।

- **बीमारी**-

लंबी बीमारी को भी बाल अपराध का कारण माना गया है। रोगी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं तथा उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। रोग की स्थिति बच्चे को बाल अपराधी बनाने में मदद करती है।

- **वंशागति या पितृसत्तात्मकता**–

कुछ लोग पितृसत्तात्मकता को बाल अपराध का कारक मानते हैं, अर्थात् उनके अनुसार अपराधी माता-पिता के गुण उनकी सन्तान में स्थानान्तरित हो जाते हैं। हैंडी और रोशनऑफ़ ने अध्ययनों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की है कि बच्चों में आपराधिकता पैतृकता के माध्यम से फैलती है।

- **अपूर्ण आवश्यकताएँ**–

बहुत से बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें और आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे बच्चों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे बुरे कार्यों द्वारा अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं जिससे वे बाल अपराधी बन जाते हैं।

- **बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण**–

सामाजिक शोधकर्ता, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक, बाल अपराध में मस्तिष्क को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। गोडार्ड ने यह साबित कर दिया है कि लगभग सभी अपराधी कम बुद्धि वाले होते हैं और मानसिक दुर्बलता की सीमा के करीब होते हैं। बाल अपराध के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारक इस प्रकार हैं:

- **मानसिक हीनता** –

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्वीकार किया गया है कि मानसिक हीनता बच्चों को अपचारी आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। यह मानसिक हीनता अल्प बुद्धि के कारण आती है और जन्मजात मानी जाती है। कई बार यह मानसिक चोट के कारण भी होता है। मानसिक रूप से कमजोर लोग अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं और उनकी सोचने की शक्ति भी अच्छी नहीं होती है। ऐसे बच्चे शिक्षण संस्थानों में निर्देश और शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं।

- **भावनात्मक संघर्ष और अस्थिरता** –

मानसिक अस्थिरता संवेगात्मक संघर्ष को जन्म देती है जो बच्चे को अपराध करने की ओर ले जाती है। मानसिक द्वन्द्वों का परिणाम यह होता है कि बच्चे चोरी आदि करने लगते हैं तथा कभी-कभी आवेश में आकर घर में आग आदि लगा देते हैं। डॉलार्ड के अनुसार मानसिक कुण्ठा भी बच्चों में आक्रामक प्रवृत्ति को जन्म देती है जिसके कारण वे अपराधी व्यवहार करने लगते हैं।

- **कम बुद्धि और बड़े बच्चे**–

कई बच्चे अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में काफी कम बुद्धिमान होते हैं। दूसरी ओर, कई बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि वे अपनी वास्तविक उम्र से काफी बड़े दिखाई देने लगते हैं। ऐसे बच्चों के सहयोगी बच्चे हंसते हैं, जिससे उनमें हीनता का भाव पैदा होता है। वे अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और आपराधिक व्यवहार अपना लेते हैं। इस प्रकार, हीनता की भावना इन कम-बुद्धि वाले बच्चों और बड़े बच्चों को बाल अपराधी बनाती है।

- **बाल अपराध के सामुदायिक कारण**–

अनेक सामुदायिक कारक भी बाल अपराध में सहायक होते हैं। प्रमुख सामुदायिक कारक इस प्रकार हैं:

- **खराब पड़ोस**–

गंदे या खराब पड़ोस भी बाल अपराध को बढ़ावा देते हैं। भीड़-भाड़ वाली जगहों और झुग्गी-झोपड़ियों और मोहल्लों में बाल अपराधियों की संख्या अधिक पाई जाती है। वेश्यावृत्ति, सस्ते उत्तेजक कार्यक्रमों और वयस्क अपराधियों के कारण इन जगहों पर रहने वाले बच्चे बुरी तरह प्रभावित होते हैं और वे असामाजिक कार्य भी करने लगते हैं और बाल अपराधी बन जाते हैं।न्यूमेयर के अनुसार, मित्रों की पसंद ही बच्चों को बिगाड़ती या बनाती है। सदरलैंड ने भी गलत संचार को बाल अपराध का एक प्रमुख कारक बताया है। यदि बच्चा लम्बे समय तक अपराधी समूह के साथ रहता है या बार-बार ऐसे समूह के संपर्क में आता है तो उसके बाल अपराधी बनने की पूरी सम्भावना होती है।

- **स्वस्थ मनोरंजन का अभाव**–

आधुनिक विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया है कि बाल अपराधी उन परिवारों या क्षेत्रों में अधिक आम हैं जहां बच्चों के पास खेलने और मनोरंजन के स्वास्थ्यप्रद साधनों तक पहुंच नहीं है। ऐसे में बच्चा दिनभर सड़कों पर घूमता रहता है या इधर-उधर भटकता रहता है। ऐसा अक्सर बड़े शहरों में ज्यादा देखा जाता है। गंदी बस्तियों में इन सभी साधनों का अभाव होता है जिससे बच्चे बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। फुरसत के दिनों में मनोरंजन के सही साधन न मिले तो दिमाग गलत बातें सोचने लगता है। ब्लूमर और होसर के अनुसार, फिल्में देखने वाले बच्चों और व्यक्तियों में अपराध से संबंधित कई उत्तेजनाएं और विचार होते हैं, जो अपराध द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। आज ज्यादातर फिल्में क्राइम, रोमांस, मारपीट और न्यूडिटी से भरी होती हैं और बच्चों पर इनका बुरा असर पड़ता है। मनोरंजन के

अभाव में बच्चे अपना खाली समय ऐसे लोगों के साथ बिताने लगते हैं जो उन्हें गंदी आदतें सिखाते हैं और अपराध को प्रेरित करते हैं।

- **स्कूल की स्थिति**-

कुछ विचारक स्कूल को भी बाल अपराध का एक प्रमुख कारक मानते हैं। कई स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि बच्चे वहां अधिक समय तक नहीं रह सकते हैं। वे कक्षा में बैठने में रुचि नहीं लेते और विद्यालयों से अनुपस्थित रहने लगते हैं। वे अपना पूरा समय स्कूल से बाहर सिगरेट पीने, जुआ खेलने, लड़कियों को ताना मारने और एक-दूसरे को सिनेमा और आपराधिक कहानियां सुनाने में बिताते हैं। ऐसे लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अपनी उम्र के लड़कों से पिछड़ जाते हैं और बाल अपराधी बन जाते हैं।विलियमसन के अनुसार, बाल अपराधियों में पाए जाने वाले कुछ असामान्य व्यवहार जैसे चोरी, यौन अपराध और स्कूल से भाग जाना, शिक्षक द्वारा कठोर दंड, बच्चे की उपेक्षा और उच्च स्तर के स्तर के कारण होते हैं। स्कूल से भागे हुए बच्चे अपना समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जिनकी हरकतें असामाजिक प्रकृति की होती हैं।

- **शहरीकरण**-

नगरीकरण समय के साथ कुल आबादी में शहरी आबादी के हिस्से में वृद्धि है। शहरीकरण सामाजिक विविधता, व्यक्तिवाद, स्थानीय जातीयता और गौण संबंधों को बढ़ावा देता है। परिवार और अन्य प्राथमिक समूहों का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। अत्यधिक आर्थिक कष्ट के कारण मानसिक चिंता एवं रोग बढ़ जाते हैं तथा मनोरंजन के सस्ते साधन उपलब्ध हो जाते हैं।आवास की समस्या के कारण गंदी बस्तियाँ तेजी से विकसित होने लगती हैं। ये बस्तियाँ असामाजिक कार्यों से भरी हैं। पारिवारिक नियंत्रण की शिथिलता और अन्य सामुदायिक स्थितियां शहरों में बाल अपराधों को बढ़ावा देती हैं। इसलिए, अधिकांश अखबारों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बाल अपराधियों की संख्या बहुत अधिक है।

- **आपत्तिजनक साहित्य**–

आपत्तिजनक साहित्य को भी बाल अपराध का कारक माना गया है। कई अखबार अपराध से जुड़ी खबरों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। वे अपराध के तरीके की व्याख्या करके और अपराध के लिए दंडित न किए जाने की आवश्यकता पर बल देकर पुलिस व्यवस्था का उपहास करते हैं। अश्लील और यौन इच्छा भड़काने वाली तस्वीरें और चोर डाकुओं की कहानियां (जो बच्चे सिनेमाघर में देखते हैं या अखबारों और पत्रिकाओं में पढ़ते हैं) का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं।

- **अपराधिक क्षेत्र**–

यदि बच्चे अपराधिक क्षेत्रों में रहते हैं (जहाँ अपराधी तथा अनैतिक कार्यों में लिप्त व्यक्ति जैसे वेश्या आदि रहते हैं) तो इसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तथा वे आपराधिक मूल्यों को अपना लेते हैं।

- **युद्ध**–

युद्ध लड़ने वाले दोनों देशों में बाल अपराधों को भी बढ़ावा दिया जाता है। युद्ध के माध्यम से सामाजिक विघटन हो रहा है और कोई भी छोटे बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पा रहा है। रात में ब्लैक आउट आदि के कारण अंधेरा होने पर घर से भाग जाने का अच्छा अवसर मिलता है। लूटपाट भी होने लगती है और बच्चे भी इन्हीं आदतों के शिकार हो जाते हैं।

- **बाल अपराध के आर्थिक कारक-**

बाल अपराध के कारकों के रूप में आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित चार प्रमुख आर्थिक कारक हैं:-

- **गरीबी और पराश्रयता**–

गरीबी के कारण बच्चे अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे उनमें आक्रोश पैदा हो जाता है और वे इन चीजों को पाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाते हैं। गरीबी के कारण माता-पिता दोनों को काम करना पड़ता है, जिससे बच्चों की देखभाल या नियंत्रण नहीं हो पाता है। ऐसे में बच्चों का बाल अपराधी बनना स्वाभाविक है।

- **व्यापार चक्र -**

कुछ अध्ययन हमें बताते हैं कि व्यापार चक्रों के उतार-चढ़ाव के साथ अपराध की दर बढ़ती या घटती है। गरीबी के साथ-साथ अत्यधिक समृद्धि भी बाल अपराधों को जन्म देती है। अत्यधिक इच्छाशक्ति उसे कई अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। विद्वानों का मत है कि, "किसी देश में जब आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, तभी बाल अपराधों की दर भी बढ़ती है।"

- **बेरोजगारी -**

निम्न आर्थिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक बेरोजगारी या बेकारी है। बेरोजगारी की स्थिति में भी वह अपना या अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए ऐसे तरीके अपनाता है, जो समाज और कानून की नजर में वर्जित है। जब अधिक संस्थानों में कर्मचारी बेरोजगार हो जाते हैं तो यह पाया गया कि आस-पास के क्षेत्रों में अपराध की दर बढ़ जाती है।

- **निम्न सामाजिक- आर्थिक स्थिति-**

बाल अपराधों पर किए गए अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि अधिकांश बाल अपराधी निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति यानी निम्न वर्ग के होते हैं। या तो उनकी उपसंस्कृति अपराध को प्रोत्साहित करती है या वे अपराध की ओर झुक जाते हैं क्योंकि वे उच्च जीवन जीने की अपनी इच्छा में विफल हो जाते हैं।

किशोर अपराध से जुड़े कुछ आंकड़े

नेशनल क्राइम ब्यूरो (छन्द) के आकड़ों को देखे तो सन 2011 में हुये 2325575 सज्ञेय अपराधों में से 25125, यानि 1.1 प्रतिशत अपराध 18 वर्ष से कम के बच्चों ने किये है। 18 वर्ष से कम के बच्चे भारत की जनसंख्या का लगभग 42 प्रतिशत है और उनके द्वारा किये गये अपराधों का हिस्सा मात्र एक प्रतिशत है। तुलनात्मक आंकड़े बताते है कि पिछले एक दशक (2001-2011) में बच्चों द्वारा किये गये अपराधों में मात्र 0.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि नगण्य है। वही दूसरी ओर सन 2011 में बच्चों द्वारा किये गए 25125 अपराधों में से मात्र 1149 (45 प्रतिशत) अपराध 16 से 18 वर्ष के बच्चों द्वारा किये गए बलात्कारों के है 2001 में इस आयु वर्ग के द्वारा किये गये बलात्कारों की संख्या 399 थी जो 2011 में बढ़ कर 1149 हो गयी जो कि चिंताजनक है।

बाल अपराध कम करने हेतु सुझाव

1-सर्वप्रथम बच्चे को परिवार में उत्तम वातावरण उनके प्रति उचित व्यवहार बालकों का निरीक्षण और उनके दैनिक व्यय की पूर्ति हो माता-पिता द्वारा बालकों में आत्म निर्भरता के गुण का अधिक से अधिक विकास किया जाये। 2- विद्यालय के बालोपयोगी ये सुसज्जित अच्छा पुस्तकालय होना चाहिए जिसके द्वारा ये प्राचीन दार्शनिक विचारको, उनकी जीवन शिक्षा, कविता पाठ आदि का अध्ययन कर सके।

3-परिवार विद्यालय के माध्यम से हमारे प्राचीन आदर्श और संस्कारों की पुर्नस्थापना की जाये। जिसके माध्यम से बच्चे में अच्छे गुणी का होगा।

4-विद्यालय में तरुण गोष्ठियों की स्थापना की जानी चाहिए ये गोष्ठिया बालकों को अपनी रूचियों और अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है।

5 अपराधों में लिप्त बच्चों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम चलाए जाए ताकि वे अपने द्वारा किए गए अपराधों को अच्छी तरह समझ प्रत्येक नगर के विभिन्न भागों के बालकों और किशोरों के सामूहिक

संघों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन संघों को किशोरों को सम्मिलित रूप से सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए।

6-बाल अपराध का मुख्य कारण यह है बालक को अपनी रचनात्मक प्रवृति को अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता है। परिणामत इस प्रवृति का दमन हो जाता है जो अवसर मिलने पर विनाशकारी कार्यों के रूप में प्रकट होती है। खेल चिकित्सा के द्वारा बालकों को अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के अनुसार कोई भी वस्तु बनाने का अवसर दिया जाता है। इससे बालक की रचनात्मक प्रवृति संतुष्ट हो जाती है और उसके मन का विकार दूर हो जाता है। मैकीसन एवं जोनसन ने लिखा है- सर्वगात्मक असंतुलन वाले अधिकांश बाल अपराधियों की खेल द्वारा चिकित्सा की जाती है।

7-राज्य द्वारा अपराधी और अनैतिक कार्यों का प्रदर्शन करने वाले चलचित्रों पर कड़ा नियंत्रण आरोपित किया जाना चाहिए।

8-निर्धन बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। साथ ही उनको अपनी शिक्षा के व्यय के लिए आर्थिक सहायता भी दी. जानी चाहिए।

9-विभिन्न प्रकार की संस्थाओं जैसे कारावास, प्रवीक्षण, किशोर सुधारगृह, पोस्टल संख्याय, किशोर बंदीगृह आदि के माध्यम से बाल अपराधी को उचित संरक्षण दिया जा सकता है।

निष्कर्षः

प्रस्तुत लेख में हमने किशोरावस्था से जुड़ी समस्या बाल अपराध के विभिन्न आयामों पर चचा की है। निष्कर्षतः इस समस्या के जिम्मेदार एक परिवार या व्यक्ति नही बल्कि संपूर्ण समाज है। हमारे द्वारा इस समस्या पर तब ध्यान दिया जाता है जब कोई बालक अपराध करता है तब नहीं जब उसे सामाजिक संरक्षण और उचित शिक्षा की जरूरत हो वर्ना हमारी सामाजिक व्यवस्था में 1 हो रही है

जिसके माध्यम से बच्चे को सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा। वर्तमान किशोर न्याय अधिनियम में बदलाव की जगह इसी को उचित रूप में लागू किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- National Curriculum Framework 2005, NCERT, New Delhi

2-गौड एस. के. किशोर शिक्षा की चुनौतियां एवं समाधान (35)

3. पाठक पी डी. शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा 2012. पृ.437-451

4.गुप्ता. एस पी 2010 उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स इलाहाबाद

5-मंगल एस के 1987 शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी प्रकाश ब्रदर्स जालघर

6- Volume of abstracts (National Serminar on Adolescence Education RIE, Ajmer.